Executive
Chapter-5 (52-78)

President

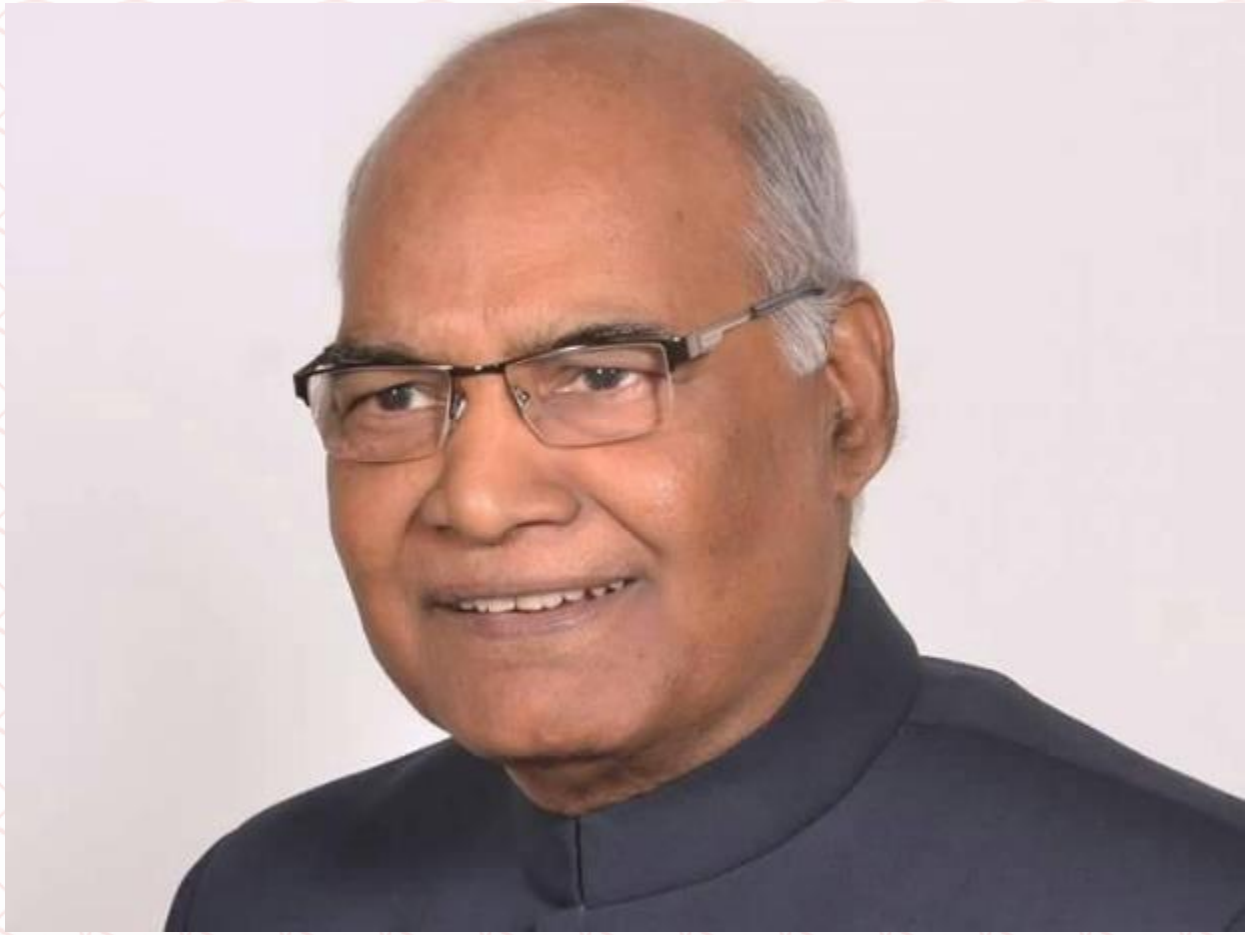

Art 52

- **भारत का एक राष्ट्रपति होगा।**
- There shall be a President of India.

Art 53

- The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
- संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

Art 54 :ELECTION OF PRESIDENT

- राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें--
  संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और
- **राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, होंगे।**

- The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of –
  (a) the elected members of both Houses of Parliament; and
  (b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States. Explanation: In this article and in article 55, “State” includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry.

Art 56 :TERM OF OFFICE OF PRESIDENT

(1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that – (a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;

(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61.

(1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंतु—

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

- (ख) संविधान का ओंतक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा;
- (ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

Art 57 :ELIGIBILITY FOR RE-ELECTION

- कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

- A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution be eligible for re-election to that office.

Art 58 :QUALIFICATIONS FOR ELECTION AS PRESIDENT

(1) No person shall be eligible for election as President unless he –
(a) is a citizen of India;
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.
(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह
(क) भारत का नागरिक है,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और

(ग) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

(2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नही होगा।

Art 60 :OATH

- प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा

Art 61 :PROCEDURE FOR IMPEACHMENT OF THE PRESIDENT

- (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
  (2) No such charge shall be preferred unless –
  (a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and
  (b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.
  (3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.
  (4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

- **(1)** जब संविधान के औंतक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा।
  (2) ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि---
  (क) ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात् प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है; और
- **(ख)** उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है।
- **(3)** जब आरोप संसद के किसी सदन दवारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।
  (4) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुदध लगाया गया आरोप सिदध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत दवारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा।

Art 72 : Power of President to grant pardons

- (1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की--
  (क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है,
  (ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,
  (ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी।

- Power of President to grant pardons, etc, and to suspend, remit or commute sentences in certain cases

(1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence

(a) in all cases where the punishment or sentence is by a court Martial;

(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;

(c)in all cases where the sentence is a sentence of death

Art 111 : Veto Power

- Assent to Bills When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the Bill, or that he withholds assent therefrom Provided that the President may, as soon as possible after the presentation to him of a Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill to the Houses with a message requesting that they will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a Bill is so returned, the Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent therefrom Procedures in Financial Matters

- जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:

  परन्तु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के
  समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा।

Art 123: Ordinance

- संविधान का अनुच्छेद-123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है. संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो, जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की जरूरत हो, तो संसद के सत्र का इंतजार करने की बजाए सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है. लेकिन इस अनुच्छेद में ये भी साफ है कि अध्यादेश को बेहद जरूरी या आपात स्थितियों में ही लाया जाना चाहिए.

- Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament

(1)If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinance as the circumstances appear to him to require

Art 112 : Money Bill

- Annual financial statement

(1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year, in this Part referred to as the annual financial statement

राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है।

Art 352 : National Emergency

- अनुच्छेद **352** में निहित है कि 'युद्ध' - 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरें में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' की जगह 'आंतरिक अशांति' शब्द का उल्लेख था।

- If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion, he may, by Proclamation, made a declaration to that effect in respect of the whole of India or of such part of the territory thereof as may be specified in the Proclamation Explanation A Proclamation of Emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression or by armed rebellion may be made before the actual occurrence of war or of any such aggression or rebellion, if the President is satisfied that there is imminent danger thereof

Art 356 :State Emergency

- Provisions in case of failure of constitutional machinery in State

(1) If the President, on receipt of report from the Governor of the State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with he provisions of this Constitution, the President may be Proclamation

- भारत के संविधान का अनुच्छेद-**356**, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का भूत वाला सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है।

Art 360: Financial Emergency

- अनुच्छेद **360**, राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है. यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है

- Provisions as to financial emergency

(1) If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect

Vice President of India

Art 63

- भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- There shall be a Vice President of India

Art 64

- उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा :
- परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति , अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा
- The Vice-President shall be *ex officio* Chairman of the Council of the States and shall not hold any other office of profit:
- Provided that during any period when the Vice-President acts as President or discharges the functions of the President under article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States

Art 69

- प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा
- Oath or affirmation by the Vice President Every Vice President shall, before entering upon his office

Prime Minister

Art 74

- राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:]
  परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

- There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice: Provided that the President may require the council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration

Art 75

- The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister
- The Minister shall hold office during the pleasure of the President
- The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People
- Before a Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule
- A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister

(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

(2) मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

(3) मंत्रि-परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(4) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

(5) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

Department Headed by PM

- NITI Aayog.
- Department of Atomic Energy.
- Department of Space.
- National Disaster Management Authority (NDMA)

Attorney general of India

Art 76

- **महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)**

  (1) महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है.

  (2) भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है. लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किन्तु उससे मत देने का अधिकार नहीं है. (अनुच्छेद 88)

  (3) महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है.

  (4) महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं.

  (5) महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है.

- Article 76 of the constitution mentions that he/she is the highest law officer of India. As a chief legal advisor to the government of India, he advises the union government on all legal matters.
- President of India appoints a person who is qualified for the post of Supreme Court Judge. There are the following qualifications:

1. He should be an Indian Citizen
2. He must have either completed 5 years in High Court of any Indian state as a judge or 10 years in High Court as an advocate
3. He may be an eminent jurist too, in the eye of the President

First Attorney General of India

- M. C. Setalvad

Thank you